In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 4th December, 2001, agreed without any amendment to the Explosive Substances (Amendment) Bill, 2001, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 20* November, 2001.

SHORT DURATION DISCUSSION

Growing unemployment in the Country - *Contd.*

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे (महाराष्ट्र): माननीय उपसभाध्यक्ष, अपना देश सौ करोड़ का देश है। इसमें 70 परसेंट लोग ग्रामों में रहते हैं। यह सामने रखकर जब एनडीए सरकार केन्द्र में आई, सभी का विकास करने के लिए...। विकास के बारे में विपक्षियों ने जो सवाल पूछे हैं उनका सौ योजनाओं में समावेश है। एन.डी.ए. सरकार ने दो सौ से ज्यादा ऐसी स्कीमें बनाई हैं। जो स्कीमें बनाई हैं इसमें 75 प्रतिशत पैसा केंद्र की ओर से जाता है और 25 प्रतिशत अंश राज्य का होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि 75 प्रतिशत सत्ता यानी पावर राज्य की है और 25 प्रतिशत पावर केंद्र की है। ऐसी विषम परिस्थिति है। संविधान की दृष्टि से और अपनी नैतिक दृष्टि से इसका पूरा इम्प्लिमेंटेशन करने के लिए राज्य ज्यादा जिम्मेदार है। पछले हफ्ते मैंने एक स्पेशल मेशन दिया था जिसमें मैंने 14 आदिवासी डिस्ट्रिक्ट, 221 ग्राम हजारों लोगों के बारे में कहा था। पिछले पचास वर्षों से हर वर्ष रेनी सीजन में आदिवासी विस्तृत क्षेत्र में कुपोषण के कारण वहां महिलाओं और बच्चों की सैकड़ों में मृत्यु होती है। इसका इम्प्लिमेंटेशन किसका है? पैसा है, सब कुछ है लेकिन कुछ होता नहीं है। पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना ढ़ाई हज़ार करोड़ रुपये की है। इसका इम्प्लिमेंटेशन राज्य का रहता है। ऐसी स्थिति में केंद्र ने तो योजना बनाई है लेकिन उसका इम्प्लिमेंटेशन राज्य की ओर से होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मेरे जिले में एक आदिवासी तहसील है। इसमें 311 वेल के लिए 50,000 रुपये बावड़ी खोदने के लिए और मोटर बिछाने के लिए देते हैं। इसमें से 105 ऐसी बावड़ीयां और मशीने हैं जो गायब हैं, जो दिखाई नहीं देती, खाली कागज पर हैं। 52,00,000 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा कहना यह है कि केंद्र की ओर से जो कुछ स्कीम्स हैं उनका अच्छी तरह से इम्प्लिमेंटेशन करने की राज्य की जिम्मेदारी है । राज्य सरकार हो, जिला परिषद् हो, पंचायत समिति हो, ग्राम हो इन सभी योजनाओं –जो दो सौ योजनाएं हैं, इनके बारे में जानकारी देना राज्य की जो संस्थाएं हैं, जो संविधान के अनुसार बनाई गई हैं, की जिम्मेदारी है। लोगों को जानकारी नहीं है, अधिकारियों को जानकारी नहीं है, पूरी मालूमात नहीं है लेकिन पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि केंद्र की ओर से जितना पैसा जाता है उस पैसे का पचास प्रतिशत करप्शन से गायब हो जाता है। आप कोई भी योजना लीजिए उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसी स्थिति है। आदिवासी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 टन मुफ्त अनाज अन्न धान्य, आदिवासियों के लिए, उन्हें रोजगार के लिए भेजा लेकिन यह राज्य सरकार ने उठाया नहीं। ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना? यह बात कितनी सही है इसे पूरे हाउस में विचार करने की जरुरत है...(**व्यवधान**)...

5.00 p.m.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभी राज्य सरकारों को एक सिरे से दोषारोपित कर रहे हैं कि सब राज्य सरकारें भ्रष्ट हैं और उनके चलते ही करप्शन हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो कृपया इस सदन के सामने रखें। राज्य सरकारों पर इस तरह के तोहमत लगाने के पहले कृपया सही ढ़ंग से अपने तथ्यों को आंकलन कर लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Just one minute.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: वन मिनिट, अगर किसी आतंकवादी को मारना है तो एक मिनिट भी नहीं लगता है। इतना व्यापक विचार, 100 करोड़ का देश, इसकी इतनी बुरी हालत है कि यहां 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इन बातों पर पूरी चर्चा करने के लिए एक मिनट या दो मिनट में अपनी बात कहूं, यह तो जरा मुश्किल है। हां, अगर आप घंटी बजायेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं डिप्टी स्पीकर रह चुका हूं इसलिए घंटी सुनना मेरे स्वभाव में नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please give me a minute. May I have the sense of the House? It is 5 o'clock now. There are five Members left. Shall we continue?

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, we could have continued, but for the Cabinet meeting. We are told that there is a Cabinet Meeting at 5 o'clcok. The Minister will have to go there. Then, what is the point in continuing the discussion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Then, can we do like this? Let the present speaker conclude. The hon. Minister can give the reply tomorrow.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We have no problem. But the Minister has to attend the Cabinet meeting. Then, how can he be present here?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Cabinet meeting is at 5.15 P.M. We can continue the discussion up to 5.15 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : So. we can continue up to 5.15 P.M. Mr. Patil, you carry on.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: उपसभाध्यक्ष जी, 100 परसेंट इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होने के लिए अपनी जो केंद्र की सरकार है, उसकी ओर से वरिष्ठ अधिकारियों की, जो विशेषकर ग्रामों के बारे में ज्यादा जानते हों और वहां के लिए स्कीम भी बनाते हैं उनकी एक समिति गठित करके, जो करोड़ों रुपया राज्यों में जाता है, उसका हिसाब रखे। इसका हिसाब रखना नितान्त आवश्यक है क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में अनुभव करता हूं, मैं महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में जाता हूं, वहां कि स्थिति बहुत खराब है। इंपलीमेंटेशन के लिए महाराष्ट्र में छोटी छोटी समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों को काम सौंपा गया है। लेकिन वहां सारा पैसा गायब हो जाता है। हमारे धुले जिले में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र का धुले जिला एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। मैं वहां पूरे पहाड़ी क्षेत्र में गया था, जब मैं डिप्टी स्पीकर था, उस क्षेत्र को देखने के लिए गया था, गुजरात से जाना पड़ा था, जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, वहां अधिकारियों ने कहा कि यहां मीटिंग कर लेंगे। हमने कहा कि हम देख लेंगे। हाईपाइवा जिसे कहते हैं मराठी में, पावा भी हम गए, चार पांच घंटे वहां घूमे, वहां स्कूल थे लेकिन बच्चे और शिक्षक नहीं, वहां दवाखाना था लेकिन वहां मेडीसंस नहीं, वहां रोगी नहीं ऐसे कई चीज़ें हैं, स्कीम तो बहुत हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस जिम्मेदारी से होना चाहिए उस जिम्मेदारी से होता नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि धुले जिले में जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसी वहां स्थिति है। जो लोकसभा के सदस्य हैं, हर वर्ष दो करोड़ रुपए जो उनको विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वह बजट में नहीं है, प्लानिंग में नहीं है और क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति जिस क्षेत्र की नहीं होती वहां स्कीम बना कर भेजी जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा होता नहीं है। तो मेरा सवाल माननीय मंत्री महोदय से यह है कि आपने तमाम स्कीम बनाई हैं, आप पूरे महाराष्ट्र और देश का दौरा करते हैं, लेकिन आपकी जो स्कीम चल रही हैं वे कागज पर चल रही हैं। इसमें केंद्र की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा है कि ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। मेरा यह कहना है कि इस बारे में कुछ न कुछ केन्द्र की ओर से कड़ा कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है। 75 प्रतिशत सत्ता और 25 प्रतिशत पैसा, इन दोनों का अच्छा मिलाप करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो तो इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। संविधान के 73 वें संशोधन में यह लिखा गया है कि जितने ग्राम हैं, उन सभी गांवों में हर तीन माह के बाद आम सभा होनी चाहिये और पूरे गांव को वहां बुलाना चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं दुर्भाग्य की बात यह है कि 90 प्रतिशत गांवों में आम सभा कभी होती ही नहीं है। वहां का ग्राम सेवक, वहां का सरपंच जो चाहे अपने मन से स्कीम बनाता है और उसे कागज पर बना कर भेज देता है, किसी से पूछता नहीं है। आम सभा में पूरी जनता का पार्टीसिपेशन लेने का कोई प्रयास नहीं होता है। मेरा गांव 25-30 हजार की आबादी का गांव है और वह ग्राम है। एक दिन अपने पुणतांबा गांव में गया था और उसी दिन ग्राम सभा की आम सभा थी। कुछ काम करने के बाद मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूछा कि आज ग्राम की आम सभा में क्या हुआ। लोगों ने बताया कि आम सभा घोषित हुई, वहां पंचायत का कोई सदस्य नहीं था, वहां पर लोग नहीं थे और आम सभा कि रिपोर्ट पंचायत समिति को और पंचायत समिति ने जिला परिषद् को भेज दी। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में हर स्कीम के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको कभी रोका नहीं गया है, रोकने का कभी कुछ प्रयास भी नहीं हुआ है। आप कितनी भी यहां चर्चा करें, कितने परसेंट की चर्चा करें लेकिन इससे कुछ काम बनेगा नहीं। माननीय मंत्री महोदय पूरे देश का दौरा कर

चुके हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र की पूरी जानकारी है, उन्होंने सब देखा है। इसलिए उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में पूरी तरह से सब सोच विचार कर के संविधान में संशोधन करें और संशोधन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बना कर उसकी रिपोर्ट ले कर, इसमें सुधार लाने का मेहरबानी कर के प्रयास करें। यही मेरी प्रार्थना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): There is hardly any time left. The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow, the 5th December, 2001.

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 5th December, 2001